न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 28/2022 निर्णय दिनांकः 05.08.2024

ऑनलाईन नम्बर 2022/355

1. किशनकंवर पत्नी नानूसिंह पुत्र रामचन्द्रसिंह 2. अर्जुनसिंह पुत्र नानूसिंह पुत्र रामचन्द्रसिंह 3. जगदेवसिंह पुत्र नानूसिंह पुत्र रामचन्द्रसिंह 4. मदनसिंह पुत्र नानूसिंह पुत्र रामचन्द्रसिंह जातिगण राजपुत निवासीगण सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर (राजस्थान)

—प्रार्थीगण—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाशचन्द्र सारस्वत अभिभाषक प्रार्थीगण
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम,1956 सपंधित धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के स्थायी निवासी है। प्रार्थीगण के पैतृक खातेदारी खेत खसरा नम्बर नये 656/249 रकबा 2.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 667/429 रकबा 1.2900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 672/506 रकबा 0.5100 हैक्टेयर रोही ग्राम सतासर में स्थित है। उक्त खसरान प्रार्थीगण के दादा/ससुर रामचन्द्रसिंह की खातेदारी के खेत रहें है। सेटलमेन्ट सम्वत् 2016 की कार्यवाही में उक्त खसरान के राजस्व रिकार्ड संधारण करते समय प्रार्थीगण के दादा/ससुर रामचन्द्रसिंह पुत्र पन्नेसिंह का नाम रामचन्द्र पुत्र पन्नाराम जाति राजपूत (दरोगा) निवासी सतासर ग्रामवासियों के बताये अनुसार रिकार्ड संधारणकर्ता द्वारा अंकित कर दिया गया जो गलत अंकित किया गया एवं इसी प्रकार प्रार्थीगण के पति/पिता के देहान्त के उपरांत प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया जिसमें जाति राजपूत (दरोगा) अंकित कर दिया गया जो कि गलत अंकित किया गया है, को प्रार्थना पत्र के जरिये सही करवाकर प्रार्थीगण अपनी जाति राजपूत अंकित करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण की वास्तविक एवं शुद्ध जाति राजपूत हैं जो प्रार्थीगण के समस्त सरकारी व अर्द्ध सरकारी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि में अंकित है एवं प्रार्थीगण को इसी जाति से जाना—पहचाना जाता है। प्रार्थीगण वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड में अपनी शुद्ध जाति दर्ज करवाना चाहते हैं जिसके कि वह अधिकारी है। प्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड में अपनी जाति शुद्ध दर्ज करवाने हेतू अप्रार्थी से निवेदन किया तो अप्रार्थी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही मानते हुए सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में शुद्धी करने से इन्कार कर दिया। अप्रार्थी द्वारा किये गये इन्कार के कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थी के विरूद्ध वादहेतू प्राप्त है एवं वादगत खेतों के खातेदार कृषक होने से प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त है। प्रार्थीगण ग्राम सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के निवासी हैं एवं वादगत खेत ग्राम सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की रोही में स्थित हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। पूर्ण कोर्ट फिस पर अन्दर मियांद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खेत खसरा नम्बर नये 656/249 रकबा 2.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 667/429 रकबा 1.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 672/506

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.08.16 18:09:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

रकबा 0.5100 हैक्टेयर रोही ग्राम सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थीगण की अशुद्ध जाति राजपूत (दरोगा) की जगह रिकार्ड दुरूस्त कर प्रार्थीगण की वास्तविक एवं शुद्ध जाति राजपूत दर्ज किये जाने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावें।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। स्टेट की ओर से बहस करते हुए पैरोकारराज ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीनी श्रीमती किशन कंवर पत्नी नानूसिंह जाति राजपूत (दरोगा) निवासी सतासर के नाम रिपोर्ट पटवारी लिखमादेसर के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में श्रीमती किशन कंवर पत्नी नानूसिंह जाति राजपूत (दरोगा) निवासी सतासर दर्ज है। प्रार्थीनी की जाति राजस्व रिकार्ड अनुसार सम्वत 2016 की जमाबन्दी में जाति दरोगा दर्ज रिकार्ड है व प्रार्थीनी की वास्तविक जाति दरोगा है। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर साक्ष्य के रूप में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2015 पेश कर निवेदन किया गया कि सेटलमेन्ट सम्वत् 2016 की कार्यवाही में उक्त खसरान के राजस्व रिकार्ड संधारण करते समय प्रार्थीनी के ससुर व प्रार्थीगण के दादा रामचन्द्रसिंह पुत्र पन्नेसिंह का नाम रामचन्द्र पुत्र पन्नाराम जाति राजपूत (दरोगा) निवासी सतासर अंकित कर दिया गया जबकि जमाबन्दी सम्वत् 2015 प्रार्थीनी के ससुर व प्रार्थीगण के दादा का नाम रामचन्द्र पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत साकिन देह दर्ज रिकार्ड है। एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर स्टेट की ओर से कोई आपत्ति पेश नहीं की गई।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर नये 656/249 रकबा 2.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 667/429 रकबा 1.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 672/506 रकबा 0.5100 हैक्टेयर रोही ग्राम सतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थीगण की अशुद्ध जाति राजपूत (दरोगा) की जगह रिकार्ड दुरूस्त कर प्रार्थीगण की वास्तविक एवं शुद्ध जाति राजपूत दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 05 .08.2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.08.16 18:09:13 IST
Reason: SelfAttested